न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 129 / 2024

अनवान : –

1. दया राम पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
2. पोकर राम पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः- 12/03/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 551 / 67 के खसरा नं. 237 / 3 की 1.6950 है0 भूमि में से 1012 / 1695 हिस्सा वादी संख्या 1 के व 683 / 1695 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 235 / 235 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.6730 है0 भूमि में से 2155 / 3673 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 235 / 235 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.6730 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2155 / 3673 हिस्सा भूमि में सं 1.012 है0 भूमि पर वादी संख्या 1 काबिज है तथा 0.683 है0 भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है एवं शेष 0.46 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 551 / 67 के खसरा नं. 237 / 3 की 1.6950 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। जिसकी वादीगण न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि वह वादीगण के हक हिस्सा को स्वीकार कर लेवे तथा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 235 / 235 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.6730 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2155 / 3673 हिस्सा भूमि में से 1.012 है0 भूमि वादी संख्या 1 को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा दे तथा 0.683 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार दर्ज करवा दे एवं शेष 0.46 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम यथावत रखले तथा रोही मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 551/67 के खसरा नं. 237/3 की 1.6950 है0 भूमि में वादीगण का नाम कलमजन करवाकर प्रतिवादी संख्या 1 अपने नाम दर्ज करवा ले तो प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल–आजकल करता रहा आखिरकार दिनांक 20.01.2024 को बमुकाम दलपतपुरा तहसील नोहर साफ इन्कार हो गया। यही विनाय मुखास्मत हैं।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 551/67, रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 235/235 आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है उपरोक्त भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 235/235 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.6730 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2155/3673 हिस्सा भूमि में सं 1.012 है0 भूमि पर वादी संख्या 1 काबिज है तथा 0.683 है0 भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है एवं शेष 0.46 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 551/67 के खसरा नं. 237/3 की 1.6950 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों [illegible] को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण [illegible] गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड [illegible] अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 551/67 के खसरा नं. 237/3 की 1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

6950 है0 भूमि में से 1012/1695 हिस्सा वादी संख्या 1 के व 683/1695 हिस्सा भूमि वादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के खाता संख्या 235/235 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.6730 है0 भूमि में से 2155/3673 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि बाबत वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 235/235 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.6730 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2155/3673 हिस्सा भूमि में सं 1.012 है0 भूमि पर वादी संख्या 1 काबिज है तथा 0.683 है0 भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है एवं शेष 0.46 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है एवं रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 551/67 के खसरा नं. 237/3 की 1.6950 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 235/235 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.6730 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2155/3673 हिस्सा भूमि में से 1.012 है0 भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 0.683 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 0.46 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 551/67 के खसरा नं. 237/3 की 1.6950 है0 भूमि में वादीगण का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/03/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:42 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 129/2024

अनवान : –

1. दया राम पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।
2. पोकर राम पुत्र औमप्रकाश जाति जाट निवासी सुरपुरा तहसील नोहर।

– **वादीगण**

बनाम्

1. कृष्ण कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 129 सन 2024 निर्णय दिनांक –12/03/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 235/235 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 3.6730 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 2155/3673 हिस्सा भूमि में से 1.012 है0 भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 0.683 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष 0.46 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी तथा रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के खाता संख्या 551/67 के खसरा नं. 237/3 की 1.6950 है0 भूमि में वादीगण का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:33:42 IST
Reason: SelfAttested